CMYK

Website : www.highwaychannel.in

छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रसारित शाम का अखबार

हाईवे चैनल

□ वर्ष- 29 □ अंक- 46 □ रायपुर, बुधवार 11 मार्च 2026 □ पृष्ठ-8 □ मूल्य- 2.50 रुपया ● रायपुर ● जगदलपुर से प्रकाशित RNI रजिस्ट्रेशन नं. 68139/98

बालोद जंबूरी कार्यक्रम के टेंडर पर विस में हंगामा कांग्रेस विधायकों ने सदन से किया वॉकआउट

छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र

रायपुर, 11 मार्च (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के आठवें दिन की कार्यवाही शुरू होते ही सदन का माहौल गरमा गया। बालोद में आयोजित जंबूरी कार्यक्रम और उसमें हुए करोड़ों के खर्च को लेकर विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार को जमकर घेरा। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने टेंडर प्रक्रिया में बड़ी गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए विधायक जांच दल बनाकर 'दूध का दूध और पानी का पानी' करने की मांग की।

शौचालय से लेकर डोम तककहां गए करोड़ों रुपये?

बता दें कि प्रश्नकाल के दौरान उमेश पटेल ने सीधा सवाल दागा कि बालोद के जंबूरी कार्यक्रम में आखिर किस मद में कितना पैसा बहाया गया? इसके जवाब में शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने बताया कि शौचालय, बिजली, पानी, आवास और डोम जैसे इंतजामों के लिए करीब 2 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। हैरानी की बात यह है कि रायपुर के एक किराया भंडार को ही 5 करोड़ 18 लाख 88 हजार रुपये का भारी-भरकम टेंडर दिया गया था। इसी आंकड़े को लेकर विपक्ष ने सरकार को आड़े हाथों लिया और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए।

बिना टेंडर शुरू हुआ काम? सदन में जमकर हुई नोंकझोंक

दरअसल, उमेश पटेल ने प्रक्रिया पर उंगली उठाते हुए कहा कि टेंडर फाइनल होने से पहले ही काम शुरू कर दिया गया था, जो सीधे तौर पर नियमों की अनदेखी है। उन्होंने पूछा कि उस वक्त स्काउट गाइड का अध्यक्ष कौन था? इस पर शिक्षा मंत्री ने सफाई दी कि मुख्यमंत्री पदेन संरक्षक होते हैं और उन्हीं के निर्देश पर पूरी प्रक्रिया हुई है। हालांकि, मंत्री के इस जवाब से विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ। मामला इतना बढ़ा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच तीखी बहस और नोकझोंक देखने को मिली।

भूपेश बघेल ने कहा- 'पूरी दाल ही काली है', फिर हुआ वॉकआउट

मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कूद पड़े। उन्होंने दोटूक शब्दों में कहा कि पूरी प्रक्रिया में गड़बड़ी साफ नजर आ रही है और यह मिलीभगत का मामला है। बघेल ने सवाल किया कि क्या सरकार इस पूरे मामले की जांच विधानसभा की समिति से कराएगी? जवाब में शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि सारा काम 'जेम पोर्टल' के जरिए हुआ है, जिसमें भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए जांच की जरूरत नहीं है। मंत्री के इस रुख से नाराज होकर कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया।

भाजपा विधायक ने उठाया जर्जर पुल-पुलियों की मरम्मत का मुद्दा

आसंदी ने कहा- काम नहीं कर पा रहे ठेकेदार को ब्लैकलिस्टेड करना चाहिए

विधानसभा के बजट सत्र के आठवें दिन प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक विक्रम उसेंडी ने कांकेर जिले के जर्जर पुल-पुलियों की मरम्मत का मुद्दा उठाया. संबंधित मंत्री के जवाब पर आसंदी ने काम नहीं कर पा रहे ठेकेदारों को ब्लैकलिस्टेड करने की बात कही.

प्रश्नकाल में कांग्रेस विधायक विक्रम उसेंडी ने कांकेर जिले अंतर्गत जर्जर पुल पुलियों के निर्माण की स्वीकृति का मुद्दा उठाते हुए सवाल किया कि निर्माण कब तक होगा? क्योंकि पुलिया काफी संकरा है, और अब डेमेज हो गए हैं, रेलिंग भी नहीं हुई है. क्या इसकी वजह से दुर्घटनाएं घटित हुई है? हां तो किस तरीके की व्यवस्था की गई है? उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि जो कांकेर जिले से भानुप्रतापपुर पखांजूर की ओर जाने वाली सड़क काफी महत्वपूर्ण है. यह सही है कि आज की अवधि तक यह कार्य पूरा करना चाहिए था. जो कि अनुबंधक के चले जाने की वजह से नहीं हो पाया है. अब तक 134 में से 114 पुल-पुलियों का काम किया गया है. लेकिन जो अनुबंध में शामिल था, उसका निर्माण नहीं किया गया है. मामला उच्च न्यायालय में लंबित है. उन्होंने बताया कि 11 पुल-पुलिए संकरे हैं, लेकिन विभाग ने उसे ठीक करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की है. सड़कों की स्वीकृति के लिए क्षेत्रीय अधिकारी को पत्र भी लिखा है. मंत्री जी ने निर्माण की घोषणा की है, बजट में शामिल है. एक पुल का काम अप्रैल तक पूरा हो जाएगा. दूसरे के कार्य में भी हम लगे हुए हैं. हम चाहते हैं कि यह निर्माण कार्य जल्द हो जाए.इस पर विधायक उमेश पटेल ने सवाल किया कि क्या अभी तक कोई दुर्घटना नहीं हुई है? इस पर अरुण साव ने कहा कि दुर्घटना की आशंका बनी रहती है, लेकिन विभाग उसके लिए कार्य कर रहे हैं. अब तक दुर्घटना हुई नहीं है. अनुबंधक चला गया है, इसलिए निर्माण नहीं हुआ. शासकीय स्वीकृति की प्रक्रिया चल रही है. विधायक ने इस पर कहा कि 77/2 जो सड़क है, वहां 5 दुर्घटनाएं हो चुकी है. 30 अप्रैल, 11 नवंबर, दिसम्बर, इस तरह से 5 घटनाएं है. लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन विभाग के उत्तर में कुछ भी नहीं हुआ है, यह कहना यह गलत जानकारी है. इस पर आसंदी ने कहा कि जो भी जानकारी है वो आप उपलब्ध करा दीजिए. इस पर विधायक ने कहा कि स्थल पर दुर्घटना हुई है, इन्हें स्वीकार तो करना चाहिए.

4 करोड़ के इनामी 106 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण बीजापुर और दंतेवाड़ा के 67 नक्सली भी शामिल

नई दिल्ली, 11 मार्च (न्यूज चैनल)। देश में 31 मार्च तक नक्सलवाद के संपूर्ण खात्मे की डेडलाइन करीब आ रही है। माओवादियों में भी आत्मसमर्पण करने की होड मच गई है। छत्तीसगढ़ में 3.95 करोड़ रुपये के इनामी 106 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इनमें बीजापुर और दंतेवाड़ा के 67 नक्सली भी शामिल हैं।

रैंक की बात करें तो बीजापुर में डीवीसीएम रैंक के तहत दो नक्सली, पीपीसीएम रैंक में 4, एसीएम में 9 और पीएम रैंक वाले 22 नक्सलियो ने सरेंडर किया है। कुल 37 नक्सलियों पर 106 लाख रुपये का इनाम रखा गया था। नारायणपुर में डीवीसीएम रैंक के तहत एक नक्सली, सीवाईपीसीएम का एक, पीपीसीएम का एक और पीएम रैंक वाले दो नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इन पर 22 लाख रुपये का इनाम रखा गया था। बस्तर में डीवीसीएम रैंक का 1, पीपीसीएम के पांच, एसीएम के तीन और पीएम रैंक वाले सात नक्सलियों ने सरेंडर किया है। कुल 16 नक्सलियों पर 99 लाख रुपये का इनाम है। कांकेर में डीवीसीएम रैंक का एक, एसीएम और पीएम रैंक में एक एक नक्सली ने सरेंडर किया है। कुल तीन नक्सलियों पर 14 लाख रुपये का इनाम रखा गया था।

सुकमा में सीवाईपीसीएम रैंक वाले दो, पीपीसीएम रैंक में छह, एसीएम में पांच पीएम रैंक में 18 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। इन सभी पर 85 लाख रुपये का इनाम रखा गया है। दंतेवाड़ा में डीवीसीएम का एक, पीपीसीएम में दो, एसीएम में पांच और पीएम रैंक में 22 नक्सलियों का सरेंडर हुआ है। इन पर 69 लाख रुपये का इनाम था।

31 वर्षीय मरीज को अदालत से मिली निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति, 12 साल से कोमा में है शख्स

नई दिल्ली, 11 मार्च (न्यूज चैनल)। सुप्रीम कोर्ट ने इच्छामृत्यु के मामले में आज बड़ा फैसला सुनाया। 12 साल से कोमा में पड़े मरीज की याचिका पर दो जजों की खंडपीठ ने निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति देते हुए मरीज की गरिमा बनाए रखने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 31 वर्षीय एक व्यक्ति के लिए निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दी। यह शख्स 12 वर्षों से अधिक समय से कोमा की स्थिति में था। अब उसकी कृत्रिम जीवन रक्षक प्रणाली को हटा दिया गया। निष्क्रिय इच्छामृत्यु किसी मरीज को जीवित रखने के लिए आवश्यक जीवन रक्षक उपकरणों या उपचार को रोककर या वापस लेकर जानबूझकर मरने देने का काम है।हरीश राणा 2013 में एक इमारत की चौथी मंजिल से गिरने के बाद सिर में गंभीर चोटों का शिकार हो गए थे और एक दशक से अधिक समय से कोमा में हैं।

ब्रेकिंग न्यूज

हर बार बोलने से रोका, राहुल ने सरकार पर लगाया आरोप

लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर हंगामा

नई दिल्ली, 11 मार्च (न्यूज चैनल)। संसद के बजट सत्र में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। इस पर चर्चा के बाद आज गृह मंत्री अमित शाह जवाब देंगे। सीपीएम सांसद ने एलपीजी आपूर्ति के मुद्दे पर चर्चा की मांग की है।

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि विपक्ष पर तंज करते हुए कहा पता नहीं विपक्ष को सेना से क्या प्यार है, वे उनकी शहादत पर सबूत मांगते हैं। मेरे पास राहुल गांधी की सभी टिप्पणियों की लिस्ट है। रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी के आचरण पर कहा कि विपक्ष के नेता आंख मारते हैं, ये क्या व्यवहार है। पीएम के गले पड़ते हैं और कहते हैं कि हमें सदन में बोलने नहीं दिया जाता है। इसी बीच राहुल गांधी ने कहा कि सकई बार मेरा नाम लिया गया है। उन्होंने कहा हर बार जब हम बोलने के लिए खड़े होते हैं, हमें रोक दिया जाता है। सदन केवल किसी एक पार्टी का नहीं बल्कि पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती है। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को बोलने की अनुमति नहीं दी गई। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पीएम कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं। इस पर रविशंकर प्रसाद बोलने खड़े हुए और उन्होंने कहा कि देश ने कभी समझौता स्वीकार नहीं किया। मैं गर्व के साथ कहता हूं कि पीएम कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुए।

खड़ी पिकअप को ट्रक ने मारी जबरदस्त टक्कर पिकअप चालक की मौत, कंडक्टर घायल

संबलपुर डीपीएस स्कूल के पास हुआ दर्दनाक सड़क हादसा

धमतरी, 11 मार्च (हाईवे चैनल)। रायपुर रोड स्थित डीपीएस स्कूल के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। जानकारी के अनुसार मानपुर से कलिंदर भरकर आ रही एक पिकअप गाड़ी डीपीएस स्कूल के पास पंचर हो गई थी। पिकअप ड्राइवर और कंडक्टर सड़क किनारे गाड़ी खड़ी कर टायर बदल रहे थे। इसी दौरान पीछे से आ रही अशोक लीलैंड की ट्रक, जो आयरन (कच्चा लोहा) लेकर रायपुर की ओर जा रही थी, ट्रक ने पिकअप को अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रक कुछ दूर जाकर पलट गई। इस हादसे में पिकअप चालक चेतन साहू 25 वर्ष भेंडरी मगरलोड की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसके सहयोगी तरुण साहू उम्र 18 वर्ष को हाथ में चोट आई है। घटना की सूचना मिलने पर वरदान परमार्थ सेवा संस्था के शिवा प्रधान, डूमन साहू, योगेश साहू और अमन साहू मौके पर पहुंचे। उनकी मदद से मृतक के शव को जिला अस्पताल की मर्चुरी पहुंचाया गया।वहीं टोल प्लाजा की क्रेन की मदद से दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाकर सड़क को क्लियर कराया गया। इस दौरान अर्जुनी थाना के पुलिस स्टाफ भी मौके पर मौजूद रहे।

सरकारी कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी जल्द होगी! एरियर देने की भी तैयारी

नई दिल्ली, 11 मार्च (न्यूज चैनल)। देश के एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए मार्च का महीना बड़ी खुशखबरी लेकर आ सकता है।

7वें वेतन आयोग की अवधि समाप्त होने और 8वें वेतन आयोग के ऐतिहासिक आगाज़ के बीच, केंद्र सरकार जनवरी 2026 से प्रभावी होने वाले महंगाई भत्ते की घोषणा करने की तैयारी में है। हालांकि इस बार की बढ़ोतरी पिछले रुझानों की तुलना में कुछ कम रहने का अनुमान है, लेकिन वेतन आयोग के बदलावों के बीच यह घोषणा लाखों परिवारों की वित्तीय स्थिति के लिए बेहद अहम मानी जा रही है।

महंगाई भत्ते का निर्धारण श्रम मंत्रालय द्वारा जारी किए जाने वाले ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर होता है। दिसंबर 2025 तक के 12 महीनों का औसत सूचकांक 419.17 अंक पर रहा है। वहीं 7वें वेतन आयोग के मौजूदा फॉर्मूले के तहत डीए का प्रतिशत 60.34 प्रतिशत निकलकर आता है। चूंकि सरकार दशमलव को छोड़कर पूर्णांक में भुगतान करती है, इसलिए जनवरी 2026 से भत्ते का 60त्न होना लगभग तय माना जा रहा है। वर्तमान में यह 58 प्रतिशत है।

31 दिसंबर 2025 को 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल पूरा हो चुका है। सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, जिसे 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जा रहा है। वेतन आयोग को अपनी विस्तृत रिपोर्ट और नई सैलरी मैट्रिक्स तैयार करने के लिए लगभग 18 महीने का समय दिया गया है।

नोवा स्पंज आयरन प्लांट में हुआ हादसा खौलता लोहा गिरने से 4 कर्मचारी झुलसे

बिना सुरक्षा जैकेट काम कराने का आरोप

बिलासपुर, 11 मार्च (हाईवे चैनल)। बिल्हा स्थित नोवा स्पंज आयरन प्लांट में मंगलवार रात बड़ा हादसा हो गया। प्लांट के फर्नेस सेक्शन में काम के दौरान अचानक पिघला हुआ लोहा (मोल्टन मेटल) गिरने से वहां काम कर रहे 4 कर्मचारी बुरी तरह झुलस गए। घटना के बाद प्लांट में साथी कर्मचारी मदद के लिए उनकी तरफ भागे। आनन-फानन में साथी कर्मचारियों की मदद से चारों घायलों को बिलासपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मंगलवार रात शिफ्ट चेंज होने के बाद रात करीब 1 बजे बिल्हा के ग्राम भैंसबोड़ निवासी नरेंद्र कोसले, चंद्रहास, बिहार के धर्मवीर व विनय कुमार के साथ काम कर रहे थे। पिघले हुए आयरन को लैडर में डालते समय तेजी से खौलते हुए उनके ऊपर गिर गया। गर्मी और लोहे की चपेट में आते ही चारों वहीं छटपटाते हुए गिर पड़े। मौके पर मौजूद साथी कर्मचारियों ने तुरंत उन्हें बाहर निकाला और प्लांट में खड़ी अधिकारी के कार से पुष्कर भारद्वाज प्रताप चौक स्थित निजी अस्पताल में चारों को भर्ती कराया। चारों मजदूर 25 से 40 प्रतिशत झुलस चुके हैं। फिलहाल डॉक्टर चारों का इलाज कर रहे हैं। मामले में पुलिस और औद्योगिक सुरक्षा विभाग द्वारा जांच शुरू कर दी गई है। घटना में घायल विनय कुमार ने बताया कि काम के दौरान लैडर का रिंग कटने से खौलता हुआ लोहा बॉयलिंग मारा। तब सभी वहीं खड़े थे।

हाईकोर्ट ने पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास की जमानत अर्जी की खारिज, दीपेन चावड़ा को मिली राहत

शराब घोटाला मामला

बिलासपुर, 11 मार्च (हाईवे चैनल)। प्रदेश के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में फंसे पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास की जमानत अर्जी को हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की सिंगल बेंच ने कहा कि आर्थिक अपराध में आरोपी की मुख्य भूमिका है। लिहाजा, जमानत नहीं दी जा सकती। दूसरी ओर हाईकोर्ट ने एक अन्य आरोपी दीपेन चावड़ा की जमानत मंजूर की है। हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपी ने राज्य के खजाने को सुरक्षित रखने के अपने कर्तव्य के विपरीत जाकर सार्वजनिक धन की हेराफेरी की है।

बता दें, कि पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास ने राज्य शासन और ईडी के दो अलग-अलग मामलों में जमानत आवेदन लगाया था। हाईकोर्ट में उनके वकील ने बताया कि एप्लीकेंट को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई समय सीमा खत्म होने के बाद मौजूदा ईसीआईआर में 19 दिसंबर 2025 को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने गिरफ्तार किया है। एप्लीकेंट का यह भी कहना है कि, गिरफ्तारी इस बात के बावजूद की गई कि, वह पहले से ही उस अपराध की एफआईआर के संबंध में न्यायिक हिरासत में था और रायपुर के अधिकार क्षेत्र वाले स्पेशल कोर्ट (पीसी एक्ट) से गिरफ्तारी की कोई इजाज़त नहीं ली गई थी। यह भी कहा गया कि गिरफ्तारी किसी जांच के मकसद से ज़रूरी नहीं थी और यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा जांच पूरी करने के लिए दिए गए समय के खत्म होने के बाद ही की गई थी। एप्लीकेंट की गिरफ्तारी के सात दिनों के अंदर, डायरेक्टरेट ऑफ़ एनफोर्समेंट ने 26 दिसंबर 2025 को पांचवीं सप्लीमेंट्री प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट फाइल की, जिसमें एप्लीकेंट को आरोपी बनाया गया। एप्लीकेंट तब से न्यायिक हिरासत में है।

उसका यह भी कहना है कि उसके खिलाफ आरोप छत्तीसगढ़ राज्य की कथित शराब पॉलिसी और छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कामकाज से जुड़े हैं। आवेदक के अनुसार, राज्य में शराब की खरीद, बिक्री और डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर में किया गया था और आवेदक का उस कॉर्पोरेशन के कामकाज में कोई भी रोल नहीं था। यह भी कहा गया कि अधिकार क्षेत्र वाले कमर्शियल टैक्स (एक्साइज) डिपार्टमेंट की डिपार्टमेंटल जांच में इन ट्रांजैक्शन के संबंध में कोई गैर-कानूनी बात नहीं पाई गई। ईडी के वकील डॉ सौरभ पाण्डेय ने कहा कि आबकारी मंत्री कवासी लखमा को शराब घोटाले में जमानत नहीं दी गई थी, जो इस विभाग के मंत्री थे। इस मामले में आवेदक निरंजन दास पूरे महकमे के राज्य में सर्वेसर्वा थे उसके बाद भी उन्होंने अनियमितताओं को नियंत्रित नहीं किया, किसी प्रकार की आवश्यक कार्रवाई भी नहीं की इस स्थिति में इन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए। सुनवाई के बाद जस्टिस अरविद कुमार वर्मा ने दोनों आवेदन खारिज कर जमानत नामंजूर कर दी।

चूहा- सुनती हो, ऑक्सफोर्ड में भारत के शिक्षा मॉडल की तारीफ हो रही है।
चुहिया- हां जी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो किताबें बेन कर रही है..!

CMYK